UPJS010058822025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- **1476/ 2025** (CNR No. - UPJS01- 004941- 2025)

उ०प्र० राज्य बनाम अनुपम नायक उर्फ अंशु आदि

मु०अ०सं०- 281/ 2025

धारा- 85, 80(2) , 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

<u>दिनांक- 19. 01. 2026</u> **<u>आदेश</u>**

1. पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त अनुपम नायक उर्फ अंशु न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित एवं अभियुक्त मनोज नायक जेरे जमानत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस - किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते हैं तथा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने प्रश्नगत घटना में वादी मुकदमा की बहन श्रीमती शिल्पी से अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चेन, मोटरसाईकिल व दो लाख रुपये आदि की माँग करना व माँग पूरी न होने पर उत्पीड़ित व मारपीट कर दहेज हत्या कारित की है।

जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण को झूंठा फंसाये जाने व उनके द्वारा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन कर मामले में उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. मैंने अभियोजन कथानक एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण अनुपम नायक उर्फ अंशु एवं मनोज नायक के विरूद्ध धारा- 85, 80(2) , 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। चूंकि धारा - 115(2) बी०एन०एस० के आवश्यक तथ्य धारा- 85 बी०एन०एस० में समाहित हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव न्यायालय इस अभिमत की है कि मामले में ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि अभियुक्तगण अनुपम नायक उर्फ अंशु एवं मनोज नायक ने धारा- 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित कर परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

5. अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्तगण अनुपम नायक उर्फ अंशु एवं मनोज नायक के विरूद्ध धारा- 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा- 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

6. अभियुक्तगण के विरूद्ध पृथक रूप से आरोप विरिचत किया गया व अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

7. पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य **दिनांक- 03. 02. 2026** को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हों।

दिनाँक- 19. 01. 2026

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

UPJS010058822025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन - **कमलेश कच्छल (उच्चतर न्यायिक सेवा)** (JO Code No- UP1881)

सत्र वाद संख्या- **1476/ 2025** (CNR No. - UPJS01- 004941- 2025)

उ०प्र० राज्य बनाम अनुपम नायक उर्फ अंशु आदि

मु०अ०सं०- 281/ 2025

धारा- 85, 80(2) , 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

एवं धारा- 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं **कमलेश कच्छल**, सत्र न्यायाधीश, झाँसी आप अभियुक्तगण **अनुपम नायक उर्फ अंशु** एवं **मनोज नायक** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करती हूँ-

1- यह कि वर्ष 2021 में वादी मुकदमा पुष्पेन्द्र कुमार की छोटी बहन शिल्पी का विवाह अभियुक्त अनुपम नायक उर्फ अंशु के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त से घटना दिनांक- 24. 06. 2025 को प्रातः समय 11. 35 बजे के मध्य, स्थान- मकान आप अभियुक्तगण नई बस्ती, अन्तर्गत थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चेन, मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित व उत्पीड़ित कर क्रूरता कारित की। इस प्रकार आपका यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 85** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

2- यह कि वर्ष 2021 में वादी मुकदमा पुष्पेन्द्र कुमार की छोटी बहन शिल्पी का विवाह अभियुक्त अनुपम नायक उर्फ अंशु के साथ होने के उपरान्त आप अभियुक्तगण ने अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया और इसी प्रताड़ना के फलस्वरूप दिनांक - 24. 06. 2025 को प्रातः समय 11. 35 के पूर्व, स्थान- मकान आप अभियुक्तगण नई बस्ती, अन्तर्गत थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में वादी की बहन की मृत्यु (फाँसी से) हुई, जो दहेज हत्या की परिधि में है। इस प्रकार आपका यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की **धारा- 80(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

3- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की बहन शिल्पी से अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चेन, मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये की मांग कर उसे उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य **दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को यह निर्देश देती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक- 19. 01. 2026 **(कमलेश कच्छल)**

सत्र न्यायाधीश,

झाँसी।

अभियुक्तगण उपस्थित है, आरोप उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनाँक- 19. 01. 2026 **(कमलेश कच्छल)**

सत्र न्यायाधीश,

झाँसी।